सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 15/2018

1. अन्जु गर्ग पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति गरूडा निवासी वार्ड नम्बर 03, रेगर बस्ती , श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. श्रीमती निशा रानी पत्नी संदीप कुमार, वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर चयनित कार्यकर्ता

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थिया
2. विभागीय प्रतिनिधि दयावन्ती सोनी (सीडीपीओ)

आदेश — दिनांक : 07–05–2018

अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर कार्यकर्ता के पद हेतु चयन आदेश क्रमाक 1848 दिनांक 12.12.2017 जारी किया गया था। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक–आ.बा.प्रशि./2017–18/7390 दिनांक 23.10.2017 को आ.बा. कार्यकर्ता को दिनांक 06.11.2017 से 06.12.2017 तक युवा भारत संस्थान वल्लभ गार्डन रोड अम्बेडकर कॉलोनी देवडा बिल्डर्स के पास बीकानेर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसके बाद प्रार्थीया कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाती रही, परन्तु कार्यकर्ता के पद नियुक्ति अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं दी गई। दिनांक 08.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का एक पत्र क्रमांक 95 दिनांक 04.01.2018 को प्रार्थीया को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थीया को 05.01.2018 तक कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण किया जाना सुनिशिचित करें अन्यथा चयन निरस्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी दर्ज था। इसके बाद उसी दिन प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में पहुंची परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि आपको पद ग्रहण करवा दिया जावेगा अभी समय लगेगा। इस प्रकार टाल मटोल करते रहे। इसके बाद दिनांक 11.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 को लिखित प्रार्थना पत्र नियुक्ति हेतु पेश किया गया जिस पर भी नियुक्ति नहीं दी गई। इस प्रकार एक माह हो गया परन्तु नियुक्ति नहीं दी गई और दिनांक 02.02.2018 को कोई सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया और मौखिक रूप से कहा जा रहा है प्रार्थीया की जगह अन्य किसी का चयन करने की बात कही। इसके बाद दिनांक 02.02. 2018 को प्रार्थीया ने सूचना के अधिकार में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यालय आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 01 से चाही गई एवं दिनांक 02.02.2018 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रकार प्रार्थीया ने श्रीमान जी के समक्ष समय अवधि में अपील संख्या 09/2018 पेश की हुई है प्रस्तुत कर दी जिसमें दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थीगण के तलबी/जवाब हेतु नियत थी। दिनांक 16.03.2018 को तारीख पेशी के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

द्वारा पेश दस्तावेजो के अवलोकन से पता चला कि शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही आदेश क्रमांक 278 दिनांक 30.01.2018 को प्रार्थीया का चयन निरस्त कर अप्रार्थी सख्या 3 का चयन किया गया है जोकि विधि विरूद्व तथा प्रार्थीया को बिना सुने राजनैतिक प्रभाव से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है प्रार्थीयान का द्वेषभाव व राजनैतिक प्रभाव से कार्यवाही करते हुए प्रार्थीया का चयन निरस्त किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 03 का चयन किया गया है । लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही आदेश क्रमांक 278 दिनांक 30.01.2018 को निरस्त कर कार्यालय आदेश क्रमांक 1848 दिनांक 12.12.2017 बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृप्पा करें।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट पत्रांक 738 दिनांक 11.04.2018 एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उपस्थित अपीलार्थीया एवं रेस्पोडेन्ट निशारानी को व्यक्तिगत सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थीया का आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर कार्यकर्ता के पद हेतु चयन आदेश क्रमाक 1848 दिनांक 12.12.2017 जारी किया गया था। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक–आ.बा.प्रशि./2017–18/7390 दिनांक 23.10.2017 को आ.बा. कार्यकर्ता को दिनांक 06.11.2017 से 06.12.2017 तक युवा भारत संस्थान वल्लभ गार्डन रोड अम्बेडकर कॉलोनी देवडा बिल्डर्स के पास बीकानेर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसके बाद प्रार्थीया कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाती रही, परन्तु कार्यकर्ता के पद नियुक्ति अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं दी गई। दिनांक 08.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 का एक पत्र क्रमांक 95 दिनांक 04.01.2018 को प्रार्थीया को प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थीया को 05.01.2018 तक कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण किया जाना सुनिशिचित करें अन्यथा चयन निरस्त किया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी दर्ज था। इसके बाद उसी दिन प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में पहुंची परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि आपको पद ग्रहण करवा दिया जावेगा अभी समय लगेगा। इस प्रकार टाल मटोल करते रहे। इसके बाद दिनांक 11.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 को लिखित ने प्रार्थना पत्र नियुक्ति हेतु पेश किया गया जिस पर भी नियुक्ति नहीं दी गई। इस प्रकार एक माह हो गया परन्तु नियुक्ति नहीं दी गई और दिनांक 02.02.2018 को कोई सन्तोषजनक जबाव नहीं दिया गया और मौखिक रूप से कहा जा रहा है प्रार्थीया की जगह अन्य किसी का चयन करने की बात कही। इसके बाद दिनांक 02.02.2018 को प्रार्थीया ने सूचना के अधिकार में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यालय आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 01 से चाही गई एवं दिनांक 02.02.2018 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को भी एक प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रकार प्रार्थीया ने श्रीमान जी के समक्ष समय अवधि में अपील संख्या 09/2018 पेश की हुई है प्रस्तुत कर दी जिसमें दिनांक 16.03.2018 को अप्रार्थीगण कके तलबी/जवाब हेतु नियत थी। दिनांक 16.03.2018 को तारीख पेशी के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश दस्तावेजो के अवलोकन से पता चला कि शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही आदेश क्रमांक 278 दिनांक 30.01.2018 को प्रार्थीया का चयन निरस्त कर अप्रार्थी सख्या 3 का चयन किया गया है जोकि विधि विरूद्व तथा प्रार्थीया को बिना सुने राजनैतिक प्रभाव से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है प्रार्थीयान का द्वेषभाव व राजनैतिक प्रभाव से कार्यवाही करते हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रार्थीया का चयन निरस्त किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 03 का चयन किया गया है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही आदेश क्रमांक 278 दिनांक 30.01.2018 को निरस्त कर कार्यालय आदेश क्रमांक 1848 दिनांक 12.12.2017 बहाल रखा जाने का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपने जबाब एवं बहस में कहा है कि कार्यालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 03/2017 दिनांक 30.06.2017 की पालना में वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर में कार्यकर्ता के चयन हेतु दिनांक 18.07.2018 तक आवेदन प्राप्त किया जाकर वरियता सूचि कार्यालय स्तर पर तैयार की गई। प्राप्त आवेदन पत्रो की कार्यालय स्तर पर तैयार की गई वरियता सूचि का अनुमोदन दिनांक 25.07.2017 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में गठित शहरी चयन कमेटी में अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात विभाग के द्वारा आ.बा. कार्यकर्ता के कार्य प्रशिक्षण दिनांक 06.11.17 से 06.12.17 में वरियता सूचि के क्र.स.01 पर अंकित महिला श्रीमति अन्जूगर्ग पत्नी श्री ओमप्रकाश को प्रशिक्षण हेतु भिजवाया गया। प्रशिक्षण में अन्जूगर्ग के द्वारा बी ग्रेड प्राप्त होने पर कार्यालय के द्वारा आदेश क्रमांक 1848 दिनांक 12.12.2017 जारी किये गये। जिसमें चयनित महिला को 7 दिवस में कार्य ग्रहण किया जाना था। उक्त कार्य स्वीकृति आदेश जारी होने व कार्य ग्रहण करने हेतु सूचना श्रीमती अन्जूगर्ग को उसके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल पर दी गई। परन्तु 5 दिन तक कार्य ग्रहण नहीं किये जाने के उपरान्त पुनः कार्यालय के द्वारा उसी मोबाईल नम्बर पर कार्य ग्रहण करने हेतु कहा गया, परन्तु श्रीमति अन्जूगर्ग के द्वारा दिनांक 26.12.2017 तक भी कार्यग्रहण नहीं करने के कारण कार्यालय के द्वारा अन्जू गर्ग को उसके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते पर प्रथम नोटिस जारी का आ.बा.कार्यकर्ता श्रीमति इन्दूबाला के मार्फत तामिल करवाये जाने हेतु भिजवाया गया। उक्त पत्र कार्यकर्ता के द्वारा अन्जूगर्ग की सास को तामिल करवाया गया। पत्र में दि गई दिनांक 02.01.2018 को भी अन्जूगर्ग के द्वारा कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण कार्यालय के द्वारा अन्तिम नोटिस क्रमांक 95 दिनांक 04.01.2018 द्वारा रजिस्ट्रर्ड AD जारी किया गया। अन्तिम नोटिस में दि गई दिनांक 05.01.2018 को कार्यग्रहण नहीं करने व वरियता सूचि में क्रमांक 02 पर अंकित महिला निशा रानी पत्नी संदीप कुमार के द्वारा अन्जूगर्ग के द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उसे नियुक्ति देने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय के द्वारा पत्रांक 167 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा श्रीमान जी उपनिदेशक श्रीगंगानगर से मार्गदर्शन चाहा गया। जिसमें आपके द्वारा अपने पत्रांक 442 दिनांक 23.01.2018 के द्वारा परिपत्र के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

श्रीमती अन्जूगर्ग के द्वारा कार्य स्वीकृति आदेश में दिये गये 07 दिवस तथा अन्तिम नोटिस देने के उपरान्त भी कार्यग्रहण नहीं करने के कारण दिनांक 03.01.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में गठित शहरी चयन कमेटी में अन्जूगर्ग का चयन निरस्त कर वरियता क्रम 2 पर अंकित महिला निशा रानी पत्नी संदीप कुमार का चयन वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर में कार्यकर्ता के पद पर किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 738 दिनांक 11.04.2018 में अंकित किया है कि आदेश क्रमांक 1848

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 12.12.2017 जारी किये गये। जिसमें चयनित महिला को 7 दिवस में कार्य ग्रहण किया जाना था। उक्त कार्य स्वीकृति आदेश जारी होने व कार्य ग्रहण करने हेतु सूचना श्रीमती अन्जूगर्ग को उसके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल पर दी गई। परन्तु 5 दिन तक कार्य ग्रहण नहीं किये जाने के उपरान्त पुनः कार्यालय के द्वारा उसी मोबाईल नम्बर पर कार्य ग्रहण करने हेतु कहा गया, परन्तु श्रीमति अन्जूगर्ग के द्वारा दिनांक 26.12.2017 तक भी कार्यग्रहण नहीं करने के कारण कार्यालय के द्वारा अन्जू गर्ग को उसके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते पर प्रथम नोटिस जारी का आ.बा.कार्यकर्ता श्रीमति इन्दूबाला के मार्फत तामिल करवाये जाने हेतु भिजवाया गया। उक्त पत्र कार्यकर्ता के द्वारा अन्जूगर्ग की सास को तामिल करवाया गया। पत्र में दि गई दिनांक 02.01.2018 को भी अन्जूगर्ग के द्वारा कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण कार्यालय के द्वारा अन्तिम नोटिस क्रमांक 95 दिनांक 04.01.2018 द्वारा रजिस्ट्रर्ड AD जारी किया गया। अन्तिम नोटिस में दि गई दिनांक 05.01.2018 को कार्यग्रहण नहीं करने व वरियता सूचि में क्रमांक 02 पर अंकित महिला निशा रानी पत्नी संदीप कुमार के द्वारा अन्जूगर्ग के द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण वरियता क्रम 2 पर अंकित महिला निशा रानी पत्नी संदीप कुमार का चयन वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर में कार्यकर्ता के पद पर किया गया। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से विभागीय चयन कार्यवाही में कहीं कोई अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलार्थिया का बाकायदा चयन हुआ और वह प्रशिक्षण के लिए भी भेजी गई और उसने प्रशिक्षण पूर्ण किया। विभाग की मंशा/सदाशयता पारदर्शी है। उसके चयन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की नियमों की उल्लंघना या विसंगति इंगित नहीं है। विभागीय निर्देशो के बिन्दु संख्या 2 (सी) में भी अपील का दायरा केवल विभागीय निर्देशो के तहत चयन नहीं होने तक ही सीमित है। अपीलार्थिया को कार्यग्रहण करने हेतु सम्यक रूप से तामील नोटिस के बावजूद भी उसके द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उसके बाद अगली वरीयता वाली आवेदिका का चयन विधिवत रूप से चयन समिति द्वारा किया गया जिसके कार्यवाही विवरण से स्थिति स्पष्ट है। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 1183 दिनांक 15.03.2018 अनुसार वरियता क्रम 2 पर अंकित महिला निशा रानी पत्नी संदीप कुमार का चयन वार्ड नम्बर 03 श्रीकरनपुर में कार्यकर्ता के पद पर किया गया चयन विधि सम्मत है क्योंकि अपीलार्थीया को बार-बार सूचना देने के उपरान्त भी अपीलार्थीया द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यग्रहण नही कर विभागीय परिपत्र में दिये गये नियमों की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

7/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।